अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 51/2013

कामेश्वर सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,मढौरा, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेषी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 3624/आ० दिनांक 28.09.13 के विरूद्ध दाखिल है। यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं० 15574/2014 में पारित आदेश दिनांक 23.01.15 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 28.09.2012 को 11.30 बजे पूर्वाहन् में श्री मनोज कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मढौरा, श्री मुलहाय मंडल प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मशरख एवं श्री केदार पासवान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पानापुर के द्वारा संयुक्त रूप से कामेश्वर सिंह ज०वि०प्र०वि० अनुज्ञप्ति सं० 21/07 पंचायत ढोरलाही कैथल प्रखंड अमनौर की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में, निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः– 1. लाभूको की सूची प्रदर्शित नहीं। 2. खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। 3. निरीक्षण/शिकायत पुस्तिका संधारित नहीं। 4. जन वितरण के पंजियों का संधारण सही ढंग से नहीं किया जाना। 5. कैश मेमो नही दिया जाना। 6. माप–तौल उपकरण सत्यापित नही। 7. माह सितम्बर का खाद्यान्न का उठाव किया जाना लेकिन जॉच की तिथि तक वितरण आरम्भ नहीं किया गया था। 8. माह सितम्बर का किरासन तेल के उठाव एवं वितरण के पश्चात विक्रेता के भण्डार में 300 लीटर होना चाहिए था लेकिन यह 223 लीटर पाया गया। 9. विक्रेता के उपभोक्ताओं के द्वारा बयान दिया गया है कि राशन/किराशन वितरण में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में	

राशन/किराशन देकर निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली की जाती है।

उक्त अनियमितताओ के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 3446/आ0 दिनांक 18.10.12 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा के द्वारा अपने ज्ञापांक 3624/आ0 दिनांक 28.09.13 के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

दिनांक 16.04.15 को अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए थे। सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरांत कतिपय बिन्दुओं पर इस न्यायालय के ज्ञापांक 269 दिनांक 21.04.15 के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा किया गया जिसके आलोक में विक्रेता के द्वारा आज दिनांक 10.06.15 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि विक्रेता के द्वारा अपना भण्डार पंजी विधिवत तरीके से संधारित किया गया है। अंत्योदय वितरण पंजी में दिनांक 07.08.12 को कूपन सं0 का अंकित किया जाना भूलवश छूट गया था यहॉ उल्लेखनीय है कि चावल और गेहूँ का कूपन सं0 समान है एवं उनके उपभोक्ता भी समान है। गेहूँ के वितरण पंजी में कूपन सं0 अंकित है एवं चावल के वितरण पंजी में यह छूट गया है। कैश मेमो एवं माप–तौल से संबंधित कागजात जॉच दल को दिखाया गया था लेकिन उनके प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर अंकित है। वार्ड सदस्य निगरानी समिति का सदस्य होता है। सितम्बर माह में 02.09.12 तक किराशन तेल वितरित किया गया था एवं 11.10.12 को कूपन जमा किया गया था। माह सितम्बर का किरासन तेल का उठाव 25.09.12 को किया गया और उसके बाद यह वितरित किया गया। यही कारण है कि वितरण के अंतिम पॉच दिनो में कूपन को जमा किया गया। सितम्बर 2012 के लिये 855 लीटर किराशन तेल आवंटित किया गया था जिसमें से 26.09.12 को 357 लीटर, 27.09.12 को 204 लीटर किरासन तेल एवं 28.09.12 को 72 लीटर किराशन तेल बांटा गया। इस तरह 633 लीटर किरासन तेल बांटा गया और भण्डार में 222 लीटर किरासन तेल उपलब्ध होना चाहिए जो भण्डार में मौजूद है। विक्रेता के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है। विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा

जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (3624/आ0 दिनांक 28.09.13) एक मुखर आदेश (Speaking Order) नहीं है। विक्रेता के द्वारा इस न्यायालय के ज्ञापांक 269 दिनांक 21.04.15 के द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नो का संतोषजनक तरीके से अपना जवाब दाखिल किया गया है। विक्रेता के विरूद्ध शिकायत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के पक्ष में शपथ पत्र दिया गया है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 395 /दिनांक 10/6/15/

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।